प्रकरण संख्या 3/2025 दीपा व अन्य बनाम गजेन्द्रसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.08.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जेतपुरा, तहसील आमेट में आराजी नंबर 1571, 1575, 1576, 1577, 1578 कुल किता 5 रकबा 8.2400 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/80 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/16 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से काश्त करना संभव नहीं रहा है, न ही भूमि का विकास हो पा रहा है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.05.2024 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 10.02.2025 को प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश देवपुरा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद लक्षकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। दिनांक 14.05.[illegible] को अपीलान्ट बीमार होने से न्यायालय से जवाब हेतु अवसर मांगा, मौखिक रूप से जवाब देने हेतु कहा गया, परन्तु बाद में पत्रावली [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:05 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अंकन किया कि जवाब बन्द कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी। इसके बाद चार पेशियों पर पीठासीन अधिकारी नहीं होने से जनरल तारीख दी गयी, जिससे अपीलान्ट को निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 09.01.2025 को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 14.05.2024 को पत्रावली जवाब हेतु नियत थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब बन्द करने के बाद प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी जो विधिक सिद्धान्तों के विपरीत है। जवाब बन्द करने की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी। प्रकरण में तनकी बनाकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अपीलान्ट/प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अपीलान्टगण को कई अवसर दिये जाने के बावजूद इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज सहखातेदारों के हिस्से अनुसार विभाजन करने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट का कथन है कि उसे जवाब हेतु अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जबकि ... अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को ... प्र... करने के 6 अवसर प्रदान किये गये, इसके बाद भी जवाब प्र...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:05 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

किये जाने से दिनांक 14.05.2024 को जवाब का अवसर बन्द किया गया। सी.पी.सी. के आदेश 8 नियम 1 तथा नियम 10 के अनुसार "जहां ऐसा पक्षकार, जिससे नियम 1 या नियम 9 के अधीन लिखित कथन अपेक्षित है, उसे नियत समय के भीतर उपस्थित करने में असफल रहता हैं वहां न्यायालय उसके विरूद्ध निर्णय सुनायेगा।"

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने उसके जवाब का अवसर बन्द किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 52/2022 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14.05.2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

20.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:05 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**मू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**........

व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

दीपा पुत्र माना, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द बनाम **गजेन्द्रसिंह पिता गोकुल, जाति गुर्जर निवासी अमरतिया, तह0 आमेट हाल लाल कोटी योजना, सेकेटेट, जयपुर व अन्य**

अपील नं.......**03/2025**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.........
.........**आमेट**..... मुकाम................मुवर्खे.............**14**...........माह............**05**..........**2024**................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........**20**....माह......**08**.........सन् **2025** रूबरू...........**पक्षकारान** व हाजरी........**श्री प्रमोद लक्षकार**........मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री मुकेश देवपुरा**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 52/2022 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिकी दिनांक 14–05–2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)....रूपये...... **X**........ अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का...................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**20**.......माह.......**08**..........**2025**........ को जारी किया गया।

20.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा 3. इजराय हुक्मनामा .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.......... मीजान ...		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील जो ... जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:05 IST
Reason: SelfAttested